भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या 2241

सोमवार, 5 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक)

तेलंगाना के पिछड़े जिलों हेतु विशेष सहायता

2241. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों में तेलंगाना के पिछड़े जिलों हेतु विशेष सहायता निधि जारी नहीं की है जो वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत करने के बाद भी 450 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा ये निधि जारी करने की समय-सीमा क्या है; और
(ग) आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अंतर्गत तेलंगाना को स्वीकृत और संवितरित निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): भारत सरकार ने तेलंगाना के 9 पिछड़े जिलों में विकास कार्यों के लिए 2,250.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। राज्य को जारी की गई विशेष सहायता - पूंजी निम्न तालिका में दर्शायी गई है:

(करोड़ रु. में)

जारी किए जाने की तिथि	**22.02.2016**	**19.12.2016**	**01.08.2017**	**28.09.2018**	**31.03.2021**	**कुल**
राशि	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	2,250.00

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत तेलंगाना राज्य को 9 पिछड़े जिलों में विकास कार्यों के लिए ''राज्यों को अंतरण'' अनुदानों के लिए मांगों के अंतर्गत ''विशेष सहायता'' शीर्ष के तहत नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर, पहले जारी की गई राशि का राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने तथा संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन केंद्र सरकार द्वारा सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

******